राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 1084/2014 व 1085/2014..... जिला .....बीकानेर.....

उनवान : मैसर्स अम्बर मार्केटिंग, एफ–137, बिछवाल इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/2014	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेशों दिनांक 23.4.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों में विवादित स्थगन हेतु आवेदित राशियों पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की कर निर्धारण अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि क्रमशः रूपये 8,19,633/– व रूपये 19,514/– की वसूली इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे। उक्तानुसार दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 15/07/14 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, 15/07/14 अजमेर	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 1084/2014 व 1085/2014..... जिला .....बीकानेर.....

उनवान : मैसर्स अम्बर मार्केटिंग, एफ–137, बिछवाल इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज'	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15/7/2014

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 229 व 228/2013–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.4.2014 के विरूद्ध की वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, विशेष वृत, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के वेट अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.02.2014 को पारित करते हुए निम्नानुसार मांग कायम की गई :–

अपील संख्या	अधिनियम	आरोपित मांग रूपये में			
		कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
1	2	4	5	6	7
1084/14	RVAT	25,66,938	3,79,630	380	29,46,948
1085/14	CST	7,71,547	8,870	380	7,80,797

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त मांग में से प्रकरणों में बकाया मांग राशि क्रमशः रूपये 8,19,633/– व रूपये 19,514/– की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.4.2014 से अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में अपीलार्थी फर्म के मालिक श्री नारायणदास तुलसानी एवं विभागीय प्रतिनिधि विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2